

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003002011

दांडिक प्रकरण क.-559 / 11

संस्थापित दिनांक-12.12.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
01-धर्मेन्द्र सिंह पुत्र महेंद्र सिंह बुंदेला उम्र 30 वर्ष 02-सोनूराजा पुत्र महेंद्र सिंह बुंदेला उम्र 24 वर्ष निवासीगण बांकलपुरआरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अजयकांत भार्गव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 23.03.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 324, 323, 506बी के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी दिनेश कुमार ने दिनांक 14.11.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम बांकलपुर तथा बूढावली में रहकर ग्राम बांकलपुर में खेती करता है। उसने राजू बुंदेला का खेत बंटाई से लिया है और उसने गेहूं की फसल बोई है। घटना दिनांक को उस खेत में एक गांव की बछिया नुकसान कर रही थी उसने उसको भगा दिया और फिर 10 बजे वह अपने घर के सामने खड़ा था तभी सोनू तथा धर्मेन्द्र बुंदेला आये और उससे कहने लगे कि मादरचोद तू बड़ा खेत वाला हो रहा है, मवेशियों को भगाता है। तो जब उसने गाली देने से मना किया इसी बात पर से गुस्सा होकर सोनू ने एक फरसा मारा जो बाएं तरफ सिर में लगा जिससे चोट आई। धर्मेन्द्र ने लाठी से मारपीट की जिससे चोट आई। दोनों आरोपीगण मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां दे रहे थे कि आज तो बच गया यदि थाने पर रिपोर्ट की तो आईन्दा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 445/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 324, 323, 506बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324/34, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.11.11 को समय दस बजे ग्राम बांकलपुर फरियादी दिनेश कुमार के घर के पास उसके साथ धारदार हथियार से सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया साधारण

उपहति कारित की ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 दिनेश कुमार की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 दिनेश कुमार ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे धारदार हथियार से मारा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी की धारदार हथियार से मारपीट की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को

भादवि की धारा 324 / 34, 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

11— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)